न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 08 / 2021

अपीलांट्स– *बनाम* **रेस्पोडेंट –**

1. मेगाराम पुत्र भींयाराम
2. निम्बाराम पुत्र भींयाराम
3. नगाराम पुत्र केशाराम
4. भंवराराम पुत्र केशाराम
5. खेताराम पुत्र केशाराम
6. भोमाराम पुत्र पदमाराम
7. हुरमों पत्नी पदमाराम
8. बाबु पुत्र उम्मेदाराम
9. शंकर पुत्र उम्मेदाराम
10. चौखाराम पुत्र उम्मेदाराम
11. कुम्भाराम पुत्र उम्मेदाराम
12. रमेश पुत्र उम्मेदाराम
13. इमियों पत्नी उम्मेदाराम
14. जोगाराम पुत्र चेतनराम
15. सुरताराम पुत्र आम्बाराम
16. भंवराराम पुत्र आम्बाराम
17. खेतु पत्नी आम्बाराम
18. दीपाराम पुत्र मुकनाराम
19. उदाराम पुत्र मुकनाराम
20. गंगा देवी पत्नी मुकनाराम

कौम मेघवाल निवासी पीथाणियों की ढ़ाणी (सवाऊ पदमसिंह) तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंट –
1. तहसीलदार गिड़ा जिला बाड़मेर

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 18:00:52 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 208[illegible] दिनांक [illegible] जो तहसीलदार गिड़ा द्वारा पारित किया

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

उपस्थिति :–
1. श्री रिणछाराम सियाग, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट प्रफोर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 24.08.2021

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार गिड़ा के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 2058 दिनांक 21.01.2020 को निरस्त करने हेतु पारित आदेश दिनांक 24.01.2021 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा पीथाणियों की ढ़ाणी पटवार मण्डल पूनियों का तला तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 272 व 614 रकबा क्रमशः 129–09 बीघा एवं 119–04 बीघा कुल रकबा 248–13 बीघा तथा मौजा भोमाणियों की ढ़ाणी पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 176 रकबा 120–08 बीघा खातेदारान मेगाराम निम्बाराम पि0 भीमाराम नगाराम भंवराराम खेताराम पि0 केसाराम भोमाराम वल्द पदमाराम हुरमों देवी पत्नी पदमाराम दीमाराम उदाराम पि0 मुकनाराम गंगादेवी पत्नी मुकनाराम जोगाराम पुत्र चेतनराम भंवरलाल सुरताराम पि0 आम्बाराम खेतूदेवी पत्नी आम्बाराम इमियोंदेवी पत्नी उमेदाराम बाबूलाल शंकरलाल चौखाराम कुंभा राम रमेश पि0 उमेदाराम कौम मेगवंशी ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 14.01.2019 को तहसीलदार गिड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि का बाहमी बंटवाडा करने का निवेदन किया। इस पर तहसीलदार गिड़ा द्वारा पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 2058 दिनांक 21.01.2020 पारित किया गया। उक्त विभाजन आदेश ज[illegible] सवाऊ पदमसिंह एवं पूनियों का तला द्वारा तहसीलदार गिड़ा [illegible] प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 24.01.2020 प्रस्तुत की गई कि बंटवारा प्रस्ताव में एक खातेदार का नाम अंकित नहीं है, विभाजन प्रस्ताव का वर्तमान खाते से मिलान नहीं हो रहा हैं एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा स्थगन आदेश जारी है। इस पर अद्यतन

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 18:00:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

स्थिति संज्ञान में आने पर तहसीलदार गिड़ा द्वारा उक्त विभाजन आदेश दिनांक 21.01.2020 को खारिज करने का संशोधित आदेश दिनंक 24.01. 2020 जारी किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा यह अपील 24.03.2021 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने अपीलांट्स के अधिवक्ता को सुना एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। अपीलांट्स के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मौजा पीथाणियों की ढ़ाणी पटवार मण्डल पूनियों का तला तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 272 व 614 रकबा क्रमशः 129–09 बीघा एवं 119–04 बीघा कुल रकबा 248–13 बीघा तथा मौजा भोमाणियों की ढ़ाणी पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 176 रकबा 120–08 बीघा के खातेदारान ने आपसी सहमति से विभाजन हेतु विभाजन प्रस्ताव मय विभाजन नक्शा तहसीलदार गिड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सहमति अनुसार विभाजन इकरारनामा तस्दीक किये जाने का निवेदन किया। तहसीलदार गिड़ा द्वारा आदेश क्रमांक 2058 दिनांक 21. 01.2020 द्वारा इकरारनामा मय प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किये जाने के निर्देश जारी किये। इसके पश्चात दिनांक 24.01.2020 को हलका पटवारी पूनियों का तला व हलका पटवारी सवाऊ पदमसिंह दोनों से कथित मार्गदर्शन रिपोर्ट पत्र प्राप्त कर खातेदारों को सुनवाई व पक्ष रखने का अवसर दिये बिना ही उसी दिन ही उक्त अपीलाधीन आदेश परित कर विभाजन स्वीकृति आदेश दिनांक 21.01.2020 को खारिज कर दिया। इस प्रकार तहसीलदार गिड़ा ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों व राजस्थान काश्तकारी (नियम) 1955 [illegible] में भारी विधिक भूल की है। उक्त आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय की मंशा कतई न्यायिक प्रकृति की नहीं रही है, बल्कि येनकेन प्रकारेण मामला रिव्यू करने की जल्दबाजी से उक्त एकपक्षीय व प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध जाकर आदेश पारित किया गया है। न्यायालय ने यह भी गौर नहीं किया कि जिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 18:00:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

खातेदार केंकू देवी का उल्लेख किया गया है वह 10 वर्ष पूर्व ही फौत हो चुकी है तथा इनके विधिक वारिसान मेगाराम व निम्बाराम पहले से ही रेकर्ड पर है तथा बंटवाडा इकरारनामा पर उनकी सहमति दर्ज है। इस प्रकार किसी रेकर्डेड फौत पक्षकार के मात्र रेकर्ड में अंकन रह जाने से सम्पूर्ण प्रक्रिया को दूषित मानकर सहमति बंटवाडा तकनीकी आधार पर बिना सुने ही निरस्त किया जाना त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष कथित स्थगन आदेश पाने वाला पक्षकार मात्र मेगाराम के फुट स्टेप पर खड़ा है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय गुणावगुण के बजाय मात्र बनावटी आधार पर, अपूर्ण व अपुष्ट स्थगन के आधार पर पारित किया गया होने से खारिज करने योग्य है।

5. अधिवक्ता अपीलांट्स ने यह भी प्रकट किया कि कुछ समय पूर्व अपीलांट्स द्वारा उक्त पैतृक खेत जिस पर बाहमी बंटवाडा किया हुआ है का माफिक बंटवाडा अलग–अलग राजस्व रेकर्ड कायम करवाने हेतु नामान्तरकरण भरवाने हेतु हलका पटवारी के सम्पर्क किया गया। हलका पटवारी द्वारा उन्हे अवगत करवाया गया कि अपीलांट्स की उक्त आरजी पर स्थगन आदेश जारी है, तब न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु में उपस्थित होकर नकल दिनांक 01.03.2021 को प्राप्त की। इस प्रकार उक्त कथित स्थगन आदेश व निर्णय का ज्ञान होने पर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.03.2021 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

6. रेस्पोडेंट प्रफोर्मा पक्षकार होने से उसका जवाब आवश्यक नहीं है।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया जिससे पाया जाता है कि मौजा पीथाणियों की ढाणी पटवार मण्डल पूनियों का तला तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 272 व 614 रकबा क्रमशः 129–09 बीघा एवं 119–04 बीघा कुल रकबा 248–13 बीघा तथा मौजा [illegible] की ढाणी पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 176 रकबा 120–08 बीघा के खातेदारान द्वारा दिनांक 14.01.2019 को तहसीलदार गिड़ा के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन किया कि उक्त भूमि का रजामंदी एवं समझौता के आधार पर बनने वाले लगान का विभाजन कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 18:00:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

लिया है जिसका बंटवाडा इकरारनामा व नक्शा संलग्न हैं। इकरारनामा के अनुसार बंटवाडा स्वीकार कर रेकर्ड में अमल दरामद का ओदश फरमावें। इस पर तहसीलदार गिड़ा द्वारा आदेश क्रमांक 2058 दिनांक 21.01.2020 पारित कर विभाजन इकरारनामा स्वीकृत किया गया। इसके पश्चात हलका पटवारी सवाऊ पदमसिंह व पूनियों का तला द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुंत कर प्रकट किया कि बंटवाडा प्रस्ताव में एक खातेदार का नाम अंकित नहीं है, विभाजन प्रस्ताव का वर्तमान खाते से मिलान नहीं हो रहा हैं एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा स्थगन आदेश जारी है। इस पर अद्यतन स्थिति संज्ञान में आने पर तहसीलदार गिड़ा द्वारा उक्त विभाजन आदेश दिनांक 21.01. 2020 को खारिज करने का संशोधित आदेश दिनंक 24.01.2020 जारी किया गया। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया और न ही पक्षकारान की वास्तविक स्थिति ज्ञात की गई। अपीलांट्स के अधिवक्ता के अनुसार पटवारी हलका द्वारा जिस पक्षकार की फौतगी होना एवं बंटवाडा प्रस्ताव में उसे शामिल नहीं करना बताया गया है उसके विधिक वारिसान विभाजन प्रस्ताव में सम्मिलित रहे हैं तथा उनकी सहमति से ही बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा जहां तक सहायक कलक्टर न्यायालय बायतु ने मौके व रेकर्ड की स्थिति का प्रश्न है तो जब समस्त पक्षकारान में आपसी सहमति एवं समझौता होकर लोकअदालत की भावना से बंटवाडा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है तो फिर किसी भी दशा में स्थगन की अवज्ञा होना प्रतीत नहीं होता है। ऐसे में बिना पक्षकारान की सुनवाई किये रिव्यु आदेश के द्वारा अपने ही आदेश को निरस्त करना विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। रिव्यु के संबंध में विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत स्कोप अत्यन्त ही सीमित है जिसमे केवल लिपीकीय अथवा गणितीय त्रुटियों का परिमार्जन किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन रिव्यु आदेश के द्वारा पूर्ववर्ती निर्णय की सम्पूर्ण आशय ही परिवर्तित कर दिया जो अविधिक एवं दूषित होने से बहाल रखे जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स की अपील प्रस्तुत स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार गिड़ा द्वारा पारित अधीनस्थ आदेश दिनांक 24.01. 2020 को अपास्त किया जाकर पूर्ववर्ती विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 2058 दिनांक 21.01.2020 यथावत बहाल रखा जाता है। तहसीलदार गिड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 18:00:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

को निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान की सहमति अनुसार मौका कब्जा की जांच करते हुए राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अंकन की कार्यवाही करावें।

9. निर्णय आज दिनांक 24.08.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 18:00:52 IST
Reason: SelfAttested